

GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक: 28 अक्टूबर, 2014

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/उद्यम/स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी

विषय : संघ सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, निगमों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2015 में चलाए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक (गहन) प्रशिक्षण कार्यक्रम।

महोदय/महोदया

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत वर्ष 2015 में हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक (गहन) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने हैं। हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं -

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण चूंकि वर्ष 2015 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, अतः आपसे यह अनुरोध है कि कर्मिकों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

हिंदी आशुलिपि

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी आशुलिपि	अनुलग्नक 1 के अनुसार	केवल उन्हीं अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। अनिवार्य: सभी वर्ग के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों हेतु। स्वैच्छिक: अवर श्रेणी लिपिकों/ टंककों हेतु *	हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ आदि।

*हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों को भी हिंदी आशुलिपि कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामांकित किया जा सकता है और कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किए जाने की संभावना है। इन कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण	अनुलग्नक 1 के अनुसार	केवल उन्हीं अधिकारियों/ कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। अनिवार्य: सभी अंग्रेजी टंककों/ अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एकसाइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों / कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स आदि के लिए, इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। स्वैच्छिक: 1. वर्तमान में सहायकों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों तथा हिंदी अनुवादकों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अतः इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। 2. सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है,	हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि।

		किंतु वर्तमान में वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।	
--	--	--	--

- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक समान हैं, परंतु ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अल्पकालिक (गहन) होने के कारण इनकी नियमित रूप से पूर्णकालिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

उप संस्थान

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक (गहन) प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अतिरिक्त कोलकाता, हैदराबाद तथा मुंबई उप संस्थानों में भी चलाए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

चयन का आधार

- पाठ्यक्रम में प्रवेश 'प्रथम आओ, प्रथम पाओ' के आधार पर दिया जाएगा।

वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतनवृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- राजपत्रित आशुलिपिकों को 90 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर अधोलिखित तालिका के अनुसार नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है -

हिंदी आशुलिपि

1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/- ₹0
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/- ₹0
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/- ₹0

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/- ₹0
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/- ₹0
3.	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/- ₹0

परीक्षा शुल्क

- ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निशुल्क हैं किंतु केंद्र सरकार के **निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों** आदि को प्रति कर्मचारी ₹0 100/- की दर से परीक्षा शुल्क देना होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान 'उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना', नई दिल्ली (Deputy Director (Exam.), Hindi Teaching Scheme, New Delhi) को देय होना चाहिए।

छात्रावास

- नई दिल्ली स्थित संस्थान में सीमित संख्या में प्रशिक्षार्थियों के ठहरने के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, लेकिन नई दिल्ली से बाहर स्थित उप संस्थानों में छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहाँ प्रशिक्षार्थियों को अपने ठहरने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

नामांकन विधि

- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा कोलकाता, हैदराबाद एवं मुंबई स्थित उप संस्थानों के पते अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।
- अनुरोध है कि अपने कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम यथाशीघ्र इस कार्यालय को तथा अपने क्षेत्र में स्थित उप संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक (टं/आ) को सीधे भिजवाने का कष्ट करें। कृपया उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करें जिन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निश्चित रूप से कार्यमुक्त किया जा सके।
- पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद किसी भी परिस्थिति में कर्मचारी को सत्र के मध्य में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान रखें कि संबंधित केंद्र के सहायक निदेशक से पुष्टि प्राप्त होने पर ही अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।
- इस संबंध में पत्र व्यवहार करते समय अपने कार्यालय का पूरा पता, दूरभाष संख्या और email का पता अवश्य लिखें, जिससे संपर्क करने में इस कार्यालय को सुविधा हो।

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।

- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है, कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी ई-मेल adchti@gmail.com द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

भवदीय,



(डॉ. जयप्रकाश कर्दम)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110003.
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन0डी0सी0सी0 भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
3. निदेशक (सेवा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110003.
4. निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन0डी0सी0सी0 भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
5. निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन0डी0सी0सी0 भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
6. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन0डी0सी0सी0 भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
7. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
9. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन0डी0सी0सी0 भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
10. निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. संयुक्त निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
12. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, नई दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु, कोलकाता, भोपाल, कोचीन, गुवाहाटी तथा गाजियाबाद।
13. उप निदेशक, परीक्षा/मध्योत्तर/पूर्व/पूर्वोत्तर/दक्षिण/पश्चिम क्षेत्र, नई दिल्ली/कोलकाता/गुवाहाटी/ चेन्नै तथा मुंबई।
14. उप निदेशक (टंकण पत्राचार), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
15. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
16. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
17. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) एवं नोडल अधिकारी (वैवसाइट अपडेट) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, के0हि0प्र0सं0, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना राजभाषा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
18. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता/बेंगलुरु/हैदराबाद तथा मुंबई।
19. सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना।
20. सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।



(डॉ. जयप्रकाश कर्दम)
निदेशक

**केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय**

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा कोलकाता, हैदराबाद एवं मुंबई स्थित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थानों में दिनांक 15.01.2015 से 16.12.2015 तक आयोजित किए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक (गहन) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

I-हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	15.01.2015 से 13.03.2015	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे. एंड के. हाउस के सामने), नई दिल्ली -110 011
2	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	16.03.2015 से 13.05.2015	
3	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	03.06.2015 से 28.07.2015	
4	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	19.08.2014 से 15.10.2015	
5	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	16.10.2015 से 16.12.2015	

II-हिंदी आशुलिपि

क्र०सं०	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	19.08.2015 से 16.12.2015	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे. एंड के. हाउस के सामने), नई दिल्ली -110 011

कोलकाता तथा हैदराबाद स्थित उप संस्थानों में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

I-हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

क्र०सं०	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	15.01.2015 से 13.03.2015
2	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	16.03.2015 से 13.05.2015
3	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	03.06.2015 से 28.07.2015

II-हिंदी आशुलिपि

क्र०सं०	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	19.08.2015 से 16.12.2015

मुंबई स्थित उप संस्थान में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	15.01.2015 से 13.03.2015
2	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	16.03.2015 से 13.05.2015
3	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	03.06.2015 से 28.07.2015
4	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	19.08.2014 से 15.10.2015
5	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	16.10.2015 से 16.12.2015

1. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) दूरभाष 011-23793517
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान फैक्स 011-23018740
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय E-mail adchti@gmail.com
2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली 110 011

उप संस्थानों के पते

1. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) दूरभाष 033-22304062
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
कमरा नं० 30. तीसरा तल, कौंसिल हाऊस स्ट्रीट,
कोलकाता-700 001
2. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) दूरभाष 022-27572705/275727060
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, फैक्स 022-27565417
केंद्रीय सदन, छठी मंजिल, 'सी' विंग 601,
सैक्टर-10, सीवीडी, बेलापुर,
नवी मुंबई-400 614
3. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) दूरभाष 040-24767755, 27532299, 27537211
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, फैक्स 040-27538866, मोबाइल-07416551976
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
चौथा तल, कमरा नं. 403,
सी.जी.ओ.टावर्स, कवाड़ीगुड़ा,
सिकंदराबाद -500 080